भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3604
उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

वरिष्ठ नागरिकों का सरकारी कल्याण

3604. श्री विनोद लखमशी चावड़ाः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में कोई योजना है, जिनकी संख्या देश की जनसंख्या के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसी कोई योजना बनाने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में चल रहे वृद्धाश्रमों को किस प्रकार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक व्यापक योजना अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईवाईवाई) लागू कर रहा है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:-

i. **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)** - वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

ii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) -** वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के अंतर्गत, सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य योजना में भागीदारी और कार्यान्वयन में सभी राज्य सरकारों की प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका मानती है। जागरूकता सृजन, संवेदीकरण, मोतियाबिंद सर्जरी और राज्य विशिष्ट कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

iii. **एल्डरलाइन -** राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन का उद्देश्य विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे अधिनियमों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करना है।

iv. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) -** 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)' का उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबंधित या 15000/- रुपये से कम मासिक आय वाले और आयु-संबंधी दिव्यांगताओं/विनिर्योग्यताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र उपलब्ध कराना है, जो उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में ला सकें। यह योजना दिनांक 01.04.2017 को शुरू की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में 'कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)' (एक कैंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के माध्यम से किया जाता है।

v. **सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) -** एसएजीई का उद्देश्य आम तौर पर सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए अनोखे और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना, वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने हेतु अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। स्टार्ट-अप का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और फंड इक्विटी के रूप में प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते कि सरकारी निवेश फर्म की कुल इक्विटी का 49% से अधिक न हो।

vi. **जराचिकित्सा सेवा प्रदाता प्रशिक्षण -** इसका मुख्य उद्देश्य जराचिकित्सा सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को पाटना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में प्रोफेशनल सेवा प्रदाताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके।

vii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल:** स्वस्थ और उपयोगी वृद्धावस्था की समस्याओं का समाधान करने के लिए देश भर में कई पहलों को क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रस्तावित पहल का उद्देश्य ज्ञान को बढ़ावा देने के संबंध में वृद्धजनों को शामिल करना है, जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): वृद्धाश्रमों को एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के योजना घटक के अंतर्गत अनुदान सहायता जारी की जाती है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चयनित संगठनों को वार्षिक अनुदान दो बराबर छमाही किस्तों में जारी किया जाता है। दूसरी किस्त परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन द्वारा अन्य अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाती है।

****